जीव दया व मानवता परमोधर्म "सत्यमेव जयते"   E-Mail– 9001aasif@gmail.com

CITY FACT AND FACILITIES BY GOVERNMENT

Mohammad Asif मो. न. +91-9413609001   Anand Nagar, Sumerpur Dist-Pali (Raj.) PIN-306902

मुख्यमंत्री सहायता कोष CM RELIEF FUND

राज्यम सरकार द्वारा24 हजार रूपये तक की वार्षिक आय अर्जित कर रहे परिवारों को जो बी.पी.एल. की चयनित सूची में नहीं हैं , उन्हें गम्भीमर रोगों के निदान/ उपचार पर होने वाला व्यतय मुख्योमंत्री सहायता कोष से दिया जा रहा है|इस वर्ग के परिवारों को उपचार की शत-प्रतिशत राशि नहीं देकर , निर्धारित मापदण्डोंर के अनुरूप इलाज पर होने वाले व्यकय की शत-प्रतिशत राशि का लगभग 40 प्रतिशत स्वीपकृत करने का प्रावधान किया है। माननीय मुख्यिमंत्री जी के आदेशानुसार अधिक राशि भी स्वीयकृत की जा सकती है।

दुर्घटना में मृतक के आश्रितों / घायलों को आर्थिक सहायता

आकस्मिक दुर्घटना में घायल होने वालों तथा प्राकृतिक आपदा/आकस्मिक दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को इस कोष से तात्कालिक सहायता स्वीकृत की जाती है। दिनांक 13/12/2012 से दुर्घटना के प्रकरणों में मृतक के आश्रितों को रुपये 50,000/- तथा गम्भी0र रूप से घायल व्यक्ति को रुपये 10,000/- एवं साधारण रूप से घायल व्यक्ति को रुपये 2,500/- तक की सहायता स्वीकृत की जाती है। सहायता सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाती है। सहायता स्वीकृति हेतु सम्बंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय में साधारण प्रार्थना पत्र , चोट प्रतिवेदन/पोस्टामार्टम रिपोर्ट, एफ.आई.आर. की प्रति सहित अधिकतम छ : माह की अवधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

नोट: कृपया आवेदन पत्र में आधार संख्या व भामाशाह कार्ड संख्या अंकित करें !

गम्भीर रोग से पीडितों को सहायता प्राप्तकर्ताओं की सूची

	प्रदेश के नॉन बीपीएल रोगियों को राजस्थान में स्थित किसी भी राजकीय अस्पताल/चिकित्सालय , औषधालय अथवा मुख्यमंत्री सहायता कोष से अधिकृत सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों में इलाज हेतु पात्रता के आधार पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाती है । अधिकृत अस्पतालों की सूची
	इस योजना के अंतर्गत रोगी के परिवार की समस्त स्त्रोतों से (बालिग एवं कमाने वाले सदस्यों सहित) वार्षिक आय की अधिकतम सीमा राशि 1.00 लाख रुपये तक होने पर ही सहायता देय है। हृदय रोग, गुर्दा रोग, कैंसर रोग, इत्यादि गम्भीर रोगों के लम्बे समय तक चलने वाले उपचार के लिए नियमानुसार देय एक मुश्त सहायता केवल एक बार स्वीकृत की जाती है।
	सहायता हेतु आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर में तथा मुख्यमंत्री निवास पर प्रस्तुत किया जा सकता है। फैक्स अथवा ई-मेल से प्राप्त आवेदन पर मूल आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कार्यवाही की जाती है।
	रोगोपचार से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। रोगोपचार हेतु सहायता मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की दिनांक से स्वीकृत की जाती है। डिस्चार्ज से पूर्व आवेदन दिनांक होने की स्थिति में भर्ती दिनांक से सहायता दी जाती है। डिस्चार्ज होने के बाद आवेदन करने पर सहायता देय नहीं है।
	रोगोपचार के संभावित चिकित्सा व्यय का सरकारी चिकित्सालयों में 40% अधिकतम राशि 1.00 लाख रूपये एवं निजी चिकित्सालयों में 30% अधिकतम राशि 60,000 रूपये की सहायता स्वीकृत की जाती है।
	इस योजना में गरीबों के रोगोपचार हेतु सहायता दी जाती है। अत: चिकित्सालय द्वारा रोगोपचार में अत्यधिक मंहगे उपकरण/ इम्पलांट का प्रयोग नहीं किया जावेगा अर्थात जीवन रक्षक रियायती दरों पर उपलब्ध उपकरण/इम्पलांट का उपयोग एवं रियायती दरों पर उपचार किया जावेगा ।
	रोगोपचार में जनरल वार्ड के अतिरिक्त सुविधायुक्त रूम/कॉटेज वार्ड/प्राइवेट रूम/सेमी डीलक्स रूम/डीलक्स रूम की सुविधा का उपयोग करने पर सहायता राशि देय नहीं होगी।
	भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र रोगियों को राशि 3.00 लाख रूपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध होने के कारण ऐसे रोगियों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देय नहीं है।

आवेदन के साथ निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक है। नोट: कृपया आवेदन पत्र में आधार संख्या व भामाशाह कार्ड संख्या अंकित करे

01	सादा कागज पर प्रार्थना पत्र	03	अनुमानित चिकित्सा व्यय का चिकित्सक द्वारा प्रमाणित ब्यौरा
02	आवेदक के परिवार की वार्षिक आय का मूल उद्घोषणा पत्र	04	राशन कार्ड

मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना ऑनलाइन आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां पर दिए गए **वेबसाइट पर क्लिक करें।**

मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड